

## परिशिष्ट-8

### उ.प्र. पुलिस शिक्षा निधि से छात्रवृत्ति/एकमुश्त अनुदान हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक/आवेदिका का नाम, पदनाम.....  
(बैज नं0 यदि कोई हो)
2. नियुक्ति स्थान.....
3. छात्र का नाम.....
4. आवेदक से सम्बन्ध.....
5. शिक्षारत पाठ्यक्रम/व्यवसाय का नाम, अवधि तथा अन्य विवरण :-
  - (अ) पाठ्यक्रम/व्यवसाय का नाम.....
  - (ब) पाठ्यक्रम/व्यवसाय की कुल अवधि.....
  - (स) संस्था का नाम जिसमें अध्ययनरत हैं.....
  - (द) संस्था, किस संस्थान से मान्यता प्राप्त है/सम्बद्ध है...
  - (य) पाठ्यक्रम/व्यवसाय में प्रवेश का वर्ष (सत्र).....
  - (र) पाठ्यक्रम/व्यवसाय में प्रवेश का माध्यम.....
- (प्रतियोगात्मक परीक्षा/मेरिट/प्रबन्धन कोटा/पेड सीट आदि में से जिसके द्वारा प्रवेश हुआ हो, वह लिखा जाय)
- (ल) प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था का नाम....
- (व) वर्तमान शिक्षा सत्र में पाठ्यक्रम/व्यवसाय के किस वर्ष/सेमेस्टर में अध्ययनरत है
  - (1) वर्ष.....
  - (2) सेमेस्टर.....
- (श) गत शिक्षा सत्र (2004-05) में उत्तीर्ण परीक्षा नाम/परिणाम.....
6. पाठ्यक्रम/व्यवसाय में अध्ययन पर व्यय की गयी/की जाने वाली धनराशि का विवरण :-
  - (अ) प्रवेश शुल्क.....
  - (ब) पुस्तक व्यय.....
  - (स) स्टेशनरी एवं उपकरणों पर व्यय.....
  - (द) मासिक शिक्षण शुल्क.....
7. माँगी गयी छात्रवृत्ति/एकमुश्त अनुदान की धनराशि.....
8. संलग्न किए जाने वाले प्रमाण पत्र :-
  - (अ) चालू शिक्षा सत्र 2005-06 में अध्ययनरत रहने का निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र
  - (ब) गत शिक्षा सत्र में उत्तीर्ण परीक्षा का प्रमाण पत्र।

### घोषणा

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं छात्रवृत्ति/एकमुश्त अनुदान सहायता हेतु उपबन्धित नियमों के पालन हेतु बाध्य हूँ तथा उसका पूर्णतया पालन करूंगा/करूंगी और ऐसी स्थिति में इस छात्रवृत्ति/एकमुश्त अनुदान सहायता हेतु आवेदन के लम्बित रहने के दौरान यदि मेरे पुत्र/पुत्री द्वारा किसी अन्य संस्था से छात्रवृत्ति/वित्तीय सहायता प्राप्त की जाती है अथवा उसे प्राप्त होती है तो मैं सचिव एवं कोषाध्यक्ष, उ.प्र. पुलिस शिक्षा निधि को तत्काल इसकी सूचना दूंगा/दूंगी।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने उ.प्र. पुलिस शिक्षा निधि से उपरोक्तानुसार छात्रवृत्ति/एकमुश्त अनुदान हेतु परिपत्र में दिये गये निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लिया है जिसके अनुसार मेरा/मेरी पुत्र/पुत्री समस्त वांछित अर्हताओं/शर्तों को पूर्ण करता/करती है। इस सम्बन्ध में मैंने सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत समस्त वांछित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिया है।

दिनांक :

(छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर)

(आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर)  
(रैंक व बैज नं. सहित)

## अग्रसारण अधिकारी की अभ्युक्ति

1. आवेदक/आवेदिका पुलिस एक्ट, पी.ए.सी. एक्ट, फायर सर्विस एक्ट ( पुलिस, पी.ए.सी. व फायर सर्विस के अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में, जो लागू न हो उसे काट दें) के अन्तर्गत भर्ती है अथवा वह पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत है। आवेदक/आवेदिका मेरे अधीन कार्यरत है तथा वह..... का/की पिता/माता/संरक्षक/अभिभावक है जो कि पूर्णरूप से उसके ऊपर आश्रित है।
2. मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया हूँ कि आवेदक/आवेदिका उ.प्र. पुलिस छात्र निधि से छात्रवृत्ति/एकमुश्त अनुदान हेतु सभी शर्तों का पालन कर रहा है तथा उसने उसका अंकन आवेदन पत्र में कर दिया है।
3. मैं जाँच लिया है कि आवेदक/आवेदिका ने आवेदन पत्र के साथ समस्त वांछित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया है तथा आवेदन पत्र ठीक-ठाक व पूर्ण रूप से भरा हुआ है।
4. छात्रवृत्ति/एकमुश्त अनुदान के रूप में जो आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाय वह आवेदक/आवेदिका को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ..... के नामे (आहरण/वितरण अधिकारी का नाम) भेजी जाय।

दिनांक :

अग्रसारण अधिकारी के हस्ताक्षर  
(कार्यालय मुहर सहित)

## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ..... पुत्र ..... इस संस्था ..... (संस्था का नाम) में ..... (पाठ्यक्रम/व्यवसाय का नाम यथा चिकित्सा, इंजीनियरिंग अथवा प्रबन्धन, जिसमें अध्ययनरत हों) वर्ष ..... से अध्ययनरत हैं। इनका इस संस्था में प्रवेश ..... संस्था द्वारा संचालित (संस्था का नाम लिखा जाय) प्रतियोगात्मक प्रवेश परीक्षा/मेरिट अथवा प्रबन्धन कोटा के अन्तर्गत पेड/अनपेड सीट पर हुआ है। पिछले सत्र ..... में इन्होंने ..... पाठ्यक्रम की ..... सेमेस्टर/वर्ष की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है। यह संस्था (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/विश्वविद्यालय/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/ भारतीय चिकित्सा परिषद इत्यादि)..... से मान्यता प्राप्त/सम्बद्ध है। यह पाठ्यक्रम/व्यवसाय..... वर्षीय है। संस्था के अभिलेखों के अनुसार इनका चाल-चलन संतोषजनक है।

दिनांक :

हस्ताक्षर  
कुलसचिव/सचिव/प्रधानाचार्य  
या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के  
हस्ताक्षर मय सील व मुहर

नोट : जो लागू न हों उसे काट दें/अथवा न लिखें।